संख्या : 790/पन्द्रह–10–2016–19(लैपटाप)/2015टी0सी0–VI

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3– शिक्षा निदेशक माध्यमिक उ0प्र0, लखनऊ।
4– राज्य परियोजना निदेशक, उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा अभियान उ0प्र0 लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग–10 लखनऊः दिनांकः 31 मई, 2016

विषयः– वर्ष 2015 में यू0पी0 बोर्ड, उ0प्र0 माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, उ0प्र0 मदरसा बोर्ड, सी0बी0एस0ई0 एवं आई0सी0एस0ई0 बोर्ड से हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट/समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण मेधावी छात्र/छात्राओं को लैपटॉप उपलब्ध कराए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वर्ष 2015 में यू0पी0 बोर्ड, उ0प्र0 माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, उ0प्र0 मदरसा बोर्ड, सी0बी0एस0ई0 एवं आई0सी0एस0ई0 बोर्ड से हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट/समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण मेधावी छात्र/छात्राओं को लैपटॉप उपलब्ध कराए जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–2081/ पन्द्रह–10–2015–19(लैपटाप) /2015 दिनांक 16.09.2015 निर्गत किया गया है।

2– उपयुक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2015 में हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण मेधावी छात्र/छात्राओं को लैपटाप उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में निर्गत किये गये शासनादेश दिनांक 16.09.2015 में निम्नवत संशोधन किया जाता हैः–

(1) योजनान्तर्गत क्रय किये जाने वाले लैपटाप का 90 प्रतिशत लैपटाप निर्गत किये गये शासनादेश दिनांक 16.09.2015 में उल्लिखित व्यवस्थाओं के अनुसार वितरित किया जाय।

(2) अवशेष 10 प्रतिशत लैपटाप मा0 मुख्य मंत्री जी के विवेकाधीन वितरण हेतु आरक्षित कर लिया जाय। आरक्षित किये जाने वाले 10 प्रतिशत लैपटाप में से प्रत्येक जनपद में उर्दू, हिन्दी एवं संस्कृत भाषा के टॉपर छात्र/छात्राओं को प्रति जनपद एक छात्र को लैपटाप प्रदान कर सम्मानित किया जाय। इस प्रकार प्रदेश के कुल 75 जनपदों में हाईस्कूल/समकक्ष एवं इण्टरमीडिएट/समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण उर्दू भाषा के 75, हिन्दी भाषा के 75 एवं संस्कृत भाषा के 75 कुल 225–225 टॉपर छात्र–छात्राओं को लैपटाप उपलब्ध कराया जाय।

3– वर्ष 2015 में हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण मेधावी छात्र/छात्राओं को लैपटाप प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत किये गये शासनादेश दिनांक 16.09.2015 का प्रस्तर–2 उपर्युक्तानुसार संशोधित किया जाता है। शासनादेश दिनांक 16.09.2015 की अन्य शर्तें/व्यवस्थायें यथावत लागू रहेंगी।

भवदीय,

(जितेन्द्र कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 790(1)/पन्द्रह–10–2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा, न्याय विभाग, वित्त विभाग, नियोजन विभाग, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स, समाज कल्याण विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, श्रम विभाग, व्यावसायिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

RGO

2— प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
3— सचिव, उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
4— सचिव, उ0प्र0 माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, शाहमीना रोड़, लखनऊ।
5— सचिव, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, जवाहर भवन, लखनऊ।
6— क्षेत्रीय सचिव, सी0बी0एस0ई0 बोर्ड, 35—सिविल लाइन्स, महात्मा गांधी रोड़, इलाहाबाद।
7— क्षेत्रीय सचिव, सी0बी0एस0ई0 बोर्ड, 99 काबोलागढ़ रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
8— चेयरमैन आई0सी0एस0ई0 बोर्ड पी0—35—36 सेक्टर—5 पुण्य विहार साकेत नई दिल्ली।
9— समस्त मण्डलीय, संयुक्त शिक्षा निदेशक उ0प्र0 (शिक्षा निदेशक माध्यमिक के माध्यम से)।
10— समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 (शिक्षा निदेशक माध्यमिक के माध्यम से)।
11— समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उ0प्र0।
12— गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(पद्माकर शुक्ला)
अनु सचिव।

RGO